परियोजना का नाम–आरक्षित वन क्षेत्र के नदी तल कोसी–दावका भाग–2 से उप खनिज चुगान निकासी के संबंध में।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– गोवरा।

तहसील– बाजपुर, जिला– उधम सिंह नगर।

आम सभा बैठक प्रमाण–प्रत्र।

उत्तराखण्ड में जनपद उधम सिंह नगर के अर्न्तगत बाजपुर में उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग, रामनगर द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र के नदी तल कोसी–दावका भाग–2 से उप खनिज चुगान निकासी हेतु (150.00 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एंव सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 150.00 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग, रामनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मत्रांलय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गोवरा द्वारा दिनांक 30-01-2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बरहैनी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो कि सत्य एंव सही है।

ग्राम सचिव
ग्राम पचायत विकास अधिकारी
न्याय पचायत
वि0 ख0 बाजपुर ऊ0सि0नगर

प्रधान
ग्राम गोबरा
वि0 ख0 बाजपुर
ऊ0 सिं0 नगर

प्रधान
ग्राम गोवरा
वि0 ख0 बाजपुर
ऊ0सिं0नगर

Scanned with CamScanner

प्रपत्र– 23.1

परियोजना का नाम– आरक्षित वन क्षेत्र के नदी तल कोसी–दावका भाग–2 से उप खनिज चुगान निकासी के संबंध में।

दिनांक 30-1-2020 को ग्राम सभा की समान्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत :– गोवरा।

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
		रामानन्द
	श्री रामानन्द	[illegible]
	श्री परमजीत सिंह	[illegible]
	श्री हंसराज	[illegible]
	श्रीमति पुष्पा देवी Ward member	पुष्पा देवी
	श्रीमति सोनिया " "	Sonia
	अजय कुमार " "	अजय कुमार
	श्रीमनीषा " "	मनीषा
	श्री कुलदीप कुमार	[illegible]
	श्री खण्डा राम	खण्डाराम
	श्री कश्मीर चन्द	कश्मीरचन्द
	श्री नन्द लाल	नन्दलाल
	श्री महावीर	[illegible]
	श्री महेन्द्र कुमार	

श्री महेश कुमार — महेश कुमार

श्री रमेश कुमार

श्री गुलशन कुमार — Gulshan

श्री प्रदीप कुमार — Kumar

श्री रतन लाल — रतनलाल

श्री राजकुमार — राजकुमार

श्री दलीप कुमार — दलीप कुमार

श्री राजेश कुमार — राजेश कुमार

श्री विशन लाल — विशनलाल

श्री रामसिंह — रामसिंह

रेनू
ग्रामप्रधान
ग्राम पंचायत
[illegible]

सुरेश कुमार
भारत कुमार
लक्ष्मण दास

सुरेश कुमार

[illegible]

लक्ष्मणदास

Scanned with CamScanner

प्रपत्र—23.2

परियोजना का नाम—आरक्षित वन क्षेत्र के नदी तल कोसी—दाबका भाग—2 से उप खनिज चुगान निकासी के संबंध में।

कार्यालय उप जिलाधिकारी बाजपुर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र।
उप खण्ड स्तरीय समिति।

उप खण्ड बाजपुर परिक्षेत्र में आरक्षित वन क्षेत्र के नदी तल कोसी—दाबका भाग—2 से उप खनिज चुगान निकासी हेतु (150.00 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 150.00 है0 वन भूमि) का उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग रामनगर के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति (तहसील—बाजपुर) की दिनांक 12-05-2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवारी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ए0पी0 बाजपेई, उप जिलाधिकारी, बाजपुर एवं अध्यक्ष उप खण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की अध्यक्षता में आयेजित की गई। बैठक में मा0 सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैः—

1. श्री ए0पी0 बाजपेई, उप जिलाधिकारी, बाजपुर, अध्यक्ष।
2. श्री एस0एस0 रावत, उप प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर, सदस्य।
3. श्री......बी.सी. जोशी...... सहायक समाज कल्याण अधिकारी, ...बाजपुर...... सदस्य/सचिव।
4. श्रीमती गुरमीत कौर, बी0डी0सी0 क्षेत्र, गोबरा, सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा मा0 सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी बाजपुर की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि कोसी—दाबका नदी भाग—2 मे 150.00 है0 वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग रामनगर के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंशा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा0 सदस्यों को अवगत कराया की वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उप खण्ड, बाजपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र के नदी तल कोसी—दाबका भाग—2 से उप खनिज चुगान निकासी के संबंध में 150.00 है0 वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग रामनगर को जनहित में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बाजपुर
उधमसिंहनगर।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी उधमसिंहनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बाजपुर
उधमसिंहनगर।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर

क्षेत्र पंचायत सदस्य
क्षेत्र ... गोबरा
वि0 ... बाजपुर (ऊ0सिं0नगर)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
वि0 ख0 बाजपुर (ऊधमसिंहनगर)

Scanned with CamScanner

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम– आरक्षित वन क्षेत्र के नदी तल कोसी–दाबका भाग–2 से उप खनिज चुगान निकासी के संबंध में।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र।

जनपद उधम सिंह नगर के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित आरक्षित वन क्षेत्र के नदी तल कोसी–दाबका भाग–2 के उप खनिज चुगान निकासी हेतु 150.00 है0 वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग, रामनगर को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण से किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहें हैं। परियोजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी
उधमसिंह नगर

Scanned with CamScanner